फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक :-24.11.2024

कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 525/2023 धारा 306 भादवि से सम्बन्धित 02वांछित अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, **श्री**मान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर **ऐश्वर्या उपाध्याय** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मुखविर की सूचना पर कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-525/2023 धारा-306 भादवि से सम्बन्धित वांछित 1.श्रीमती कमलेश पत्नी पूरन सिंह 2.पूरन सिंह पुत्र होरीलाल निवासीगण हुसैनपुर नौखण्डा बहेलियन नगला थाना कोत0 फतेहगढ़ जनपद फर्रूखाबाद को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. पूरन सिंह पुत्र होरीलाल निवासी हुसैनपुर नौखण्डा बहेलियन नगला थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद
2. श्रीमती कमलेश पत्नी पूरन सिंह निवासी हुसैनपुर नौखण्डा बहेलियन नगला थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्तगण द्वारा अपनी गलती की मांफी मांगते हुए अपनी सफाई मा0 न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से देना बताया।

घटना का विवरणः- वादिनी श्रीमती कमलेश द्वारा अभियुक्तगणो द्वारा वादिनी की पुत्री नेहा से अतिरिक्त दहेज की मांग करना मांग पूरी न होने पर प्रताडित करना, गाली गलौज करना, मारना पीटना, जिस कारण वादिनी की पुत्री नेहा द्वारा जहर खा लेना व इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 525/2023 धारा 498A/304B/323/504 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट बनाम संतोष पुत्र कलेक्टर आदि 08 नफर पंजीकृत कराया था। जिसकी विवेचना श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय द्वारा संपादित की जा रही थी। विवेचना के क्रम में मुकदमा वादिनी श्रीमती कमलेश व मुकदमा वादिनी के पति पूरन सिंह द्वारा अपनी पुत्री नेहा को प्रताड़ित करने पर मुकदमा वादिनी की पुत्री नेहा द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने के साक्ष्य पाये जाने पर अभियोग में धारा 498A/304B/323/504 भा0द0वि0 व 3/4 डीपी एक्ट का लोप कर धारा 306 भादवि की वृद्धि की गयी तथा नामित संतोष आदि की नामजदगी गलत करते हुए अभियोग में अभियुक्तगण 1. श्रीमती कमलेश पत्नी पूरन सिंह 2. पूरन सिंह पुत्र होरीलाल निवासीगण हुसैनपुर नौखण्डा बहेलियन नगला कोतवाली फतेहगढ़ का नाम प्रकाश में आया। दिनांक 24.11.2024 को श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के निर्देशानुसार कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. श्रीमती कमलेश पत्नी पूरन सिंह 2. पूरन सिंह पुत्र होरीलाल उपरोक्त को जिला जेल चौराहा के पास से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

1.निल

आपराधिक इतिहास अभियुक्त पूरन सिंह उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं0 525/2023 धारा 306 भादवि थाना कोतवाली फतेहगढ़।

आपराधिक इतिहास अभियुक्ता श्रीमती कमलेश उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं0 525/2023 धारा 306 भादवि थाना कोतवाली फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 राहुल कुमार थाना कोतवाली फतेहगढ़, जनपद फतेहगढ़
2. कां0 अंकुश कुमार थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़
3. कां0 राहुल माहौर थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़
4. म0कां0 कोमल थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट- थाना राजेपुर

दिनांक :- 24.11.2024

थाना राजेपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन**, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री रवीन्द्रनाथ राय के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजेपुर पुलिस द्वारा दिनांक 23/24.11.24 की रात्रि में चेंकिग के दौरान ग्राम सुखियापुर तिराहे के पास से 01 अभियुक्त को 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार कर मु0अ0स0- 133/24 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. संदीप उर्फ झंडु पुत्र उकिल उर्फ विजय नि0 ग्राम महेशपुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण - दिनांक 23/24.11.24 की रात्रि में थाना राजेपुर पुलिस द्वारा राजेपुर क्षेत्र में सुखियापुर तिराहे के पास पर संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चेंकिग की जा रही थी तभी संदीप उर्फ झंडू पुत्र उकिल उर्फ विजय नि0 ग्राम महेशपुर थाना राजेपुर जनपद फर्रूखाबाद वर्ष की चैंकिग की गयी। चैंकिग के दौरान संदीप उपरोक्त के पास से 01 तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। जिसके आधार पर थाना राजेपुर पर मु0अ0स0 133/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभि0 द्वारा बताया गया अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बताया गया।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 तमंचा 315 बोर
2. 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त का संदीप उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 133/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0स0 204/2017 धारा 323,325,504 भा0द0स0 व 3(1)(X)SC/ST ACT थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना राजेपुर
2. का0 सहदेव
3. का0 धर्मेन्द्र कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़